REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018⁄ फाल्गुन 8, 1939
No. 716]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/ PHALGUNA 8, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

**का.आ. 812(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा:-

क्र. सं	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
410	354बी	पंजाब राज्य में जीरा के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मरखई,
		कुलगढ़ी को जोड़ते हुए और फिरोजपुर के निकट रारा-5 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त
		होने वाला  राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2017-पी एण्ड)एम (पार्ट)] राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एसआरओ 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 541(अ), दिनांकित 06.02.2017 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

# NOTIFICATION

### New Delhi, the 27th February, 2018

**S.O. 812 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

## TABLE

Serial	New	Description of National Highways
No.	National Highway	
	No.	
410	354B	The highway starting from its junction with NH-54 near Zira connecting Markhai,
		Kulgarhi and terminating at its junction with NH-5 near Firozepur in the State of
		Punjab.

# [F. No. NH-14012/3/2017-P&M (pt)]

## RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:- The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification No. 541(E) dated 06. 02.2018.

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

**का.आ. 813(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 263, 411 और 413 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
263	703ए	पंजाब राज्य में जालंधर के निकट रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कपूरथला, सुल्तानपुर, लोधी, पिंडी, माखू, मलुवालिया वाला, मालनवाला, लाइमवाला को जोड़ते हुए और अरिफके के निकट रारा-354 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
411	148बीबी	पंजाब राज्य में <b>जाखल</b> के निकट रारा-148बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लेहरा गागा को जोड़ते हुए और सुनाम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
413	152ए	पंजाब राज्य में अमो को जोड़ते हुए <b>शेरगढ़</b> के निकट रारा-52 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर, हरियाणा राज्य में संगतपुरा, नंद, सिंहवाला, सांगन, महल खेड़ी, पाडला, गांधी को

#### तालिका

<b>क्र.</b> सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
		जोड़ते हुए और कैथल के निकट रारा-152 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2017-पी एण्ड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एसआरओ 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 541, दिनांकित 06.02.2017 द्वारा किया गया था ।

# NOTIFICATION

## New Delhi, the 27th February, 2018

**S.O. 813 (E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 263, 411 and 413 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

## TABLE

Serial No.	New	Description of National Highways
	National Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
263	703A	The highway starting from its junction with NH-3 near Jalandhar connecting
		Kapurthala, sultanpur, Lodhi, Pindi, Makhu, Maluwalia Wala, Malanwala,
		Ilmewala and terminating at its junction with new NH No. 354 near Arifke in the
		State of Punjab.
411	148BB	The Highway starting from its junction with NH-148B near Jakahl connecting
		Lehra Gaga and terminating at Sunam in the state of Punjab
413	152A	The highway starting from its junction with NH-52 near Shergarh connecting
		Amo in the State of Punjab, Sangatpura, Nand, Sighwala, Sanghan, Mahal Kheri,
		Padala, Gandhi and terminating at its junction with NH-152 near Kaithal in the
		State of Haryana.

## [F. No. NH-14012/3/2017-P&M (pt)]

## RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote:**— The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification No. 541 dated 06. 02. 2017.